प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़,उच्च न्यायालय , बिलासपुर**

**एकलपीठ : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश**

रिट याचिका क्र. 87 / 2006

रिट याचिका क्र. 1954 / 2006

**आदेश**

आदेश के उद्घोषणा हेतु इसे दिनांक
19/09/2006 को नियत किया जाये ।

**(हस्ताक्षर)**
**मुख्य न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

---

एकल पीठ : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

---

रिट याचिका क्रमांक 87 / 2006

याचिकाकर्ता : श्रीमती अनीता अग्रवाल, पति श्री संतोष कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 37 वर्ष, व्यवसाय– व्यापार, निवासी मुख्यमार्ग रोड करगी रोड, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

उत्तरवादीगण: :

1. भरत संघ सचिव के द्वरा, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, पंजीकृत कार्यालय : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुम्बई।
3. क्षेत्रीय निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

   क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, मदिना मंज़िल, मेडिकल कॉलेज मार्ग, रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. श्रीमती मीतु अग्रवाल, निवासी–करगी रोड, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006

याचिकाकर्ता : मित्तु अग्रवाल, पति श्री अजय कुमार अग्रवाल, आयु 28 वर्ष, निवासी मेसर्स पुष्कर लाल, नवाल किशोर मेडिकल स्टोर्स, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

बनाम

उत्तरवादीगण: :

1. भारत संघ, द्वारा सचिव, पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, पंजीकृत कार्यालय : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुम्बई।
3. क्षेत्रीय निदेशक, एचपीसीएल, रायपुर रीटेल रीजन, मदीना मंजिल, द्वितीय तल, मेडिकल कॉलेज मार्ग, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
4. महाप्रबंधक, एचपीसीएल रिचर्डसन एंड क्रुदास बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, बायकुल्ला, मुम्बई – 400 008 (महाराष्ट्र)।
5. मुख्य प्रबंधक एनडब्ल्यूपी–डब्ल्यूजेड, एचपीसीएल रिचर्डसन एंड क्रुद्दास बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, बायकुल्ला, मुम्बई – 400 008 (महाराष्ट्र)।
6. श्रीमती अनीता अग्रवाल, पति श्री संतोष कुमार अग्रवाल, आयु 37 वर्ष, निवासी करगी रोड, तहसील कोटा, जिला : बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

————————————————————————————————————————

उपस्थित : रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में याचिकाकर्ता के ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता ।

रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में याचिकाकर्ता के ओर से श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री विवेक श्रीवास्तव तथा श्री अमृतो दास, विद्वान अधिवक्तागण ।

भारत संघ के ओर से श्री एस.के. बेरीवाल, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा इसके प्राधिकारियों के ओर से श्री भीष्म किंगर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता।

————————————————————————————————————————

<u>आदेश</u>

<u>(सितम्बर, 2006 को पारित)</u>

श्रीमती अनीता अग्रवाल, जो रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में याचिकाकर्ता हैं तथा रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में उत्तरवादी क्रमांक 6 हैं, और श्रीमती मित्तु अग्रवाल, जो रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में याचिकाकर्ता हैं तथा रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में उत्तरवादी क्रमांक 4 हैं, के बीच पेट्रोलियम उत्पादों हेतु कोटा में रीटेल आउटलेट डीलरशिप प्राप्त करने के दावे से उत्तपन विवाद , इन रिट याचिकाओं में न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में एचपीसीएल) एक तेल कंपनी है जो भारत सरकार का उपक्रम एवं अनुषंगी है, जो आपूर्ति एवं वितरण के कार्य में संलग्न है। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए एच.पि सी एल खुदरा आउटलेट डीलरों को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने हेतु नियुक्त कर रही हे। कोटा में खुदरा डीलर की स्थापना के लिए चयन हेतु, विज्ञापन दिनांक 19/08/2005 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कोटा में खुदरा आउटलेट को खुली श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) श्रीमती अनीता अग्रवाल और श्रीमती मित्तु अग्रवाल ने उक्त विज्ञापन के जवाब मे निर्धारित प्रपत्र में आउटलेट के लिए डीलरशिप हेतु आवेदन किया। आवेदकों में श्रीमती अनीता अग्रवाल और श्रीमती मित्तु अग्रवाल का दिनांक 19/11/2005 को साक्षात्कार लिया गया और उस प्रक्रिया के पश्चात, श्रीमती मित्तु अग्रवाल को डीलरशिप हेतु चयनित किया गया, जैसा कि अनुलग्नक–पी/7 दिनांक 19/11/2005 में प्रदर्शित है, जो रिट याचिका क्रमांक 87 ऑफ 2006 में प्रस्तुत किया गया।

(5) श्रीमती अनीता अग्रवाल ने एचपीसीएल की उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर रिट याचिका क्रमांक 87/ 2006 इस न्यायालय में दिनांक 06/01/2006 को दायर की, जिसमें यह अभिव्यक्त किया कि डीलर के नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार, “भूमि एवं अधोसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने की

क्षमता” के शीर्षक के अंतर्गत यदि किसी आवेदक के पास भूमि का स्पष्ट स्वामित्व है तो साक्षात्कार समिति में सम्मिलित प्रत्येक तीन सदस्यों द्वारा 35 अंक दिए जाने हैं, परंतु उनके मामले में जबकि उनके पास भूमि एवं अधोसंरचना सुविधाओं का स्पष्ट स्वामित्व है, साक्षात्कार समिति ने केवल 25 अंक दिए और यह कार्रवाई न केवल पक्षपातपूर्ण है बल्कि एचपीसीएल द्वारा निर्धारित नियमों के प्रतिकूल भी है। उक्त भेदभावपूर्ण उपचार के संबंध में श्रीमती अनीता अग्रवाल ने तर्क दिया कि उन्हें श्रीमती मित्तु अग्रवाल के पीछे द्वितीय स्थान पर धकेल दिया गया। यह प्रतीत होता है कि इस बीच श्रीमती अनीता अग्रवाल ने अपनी चयन नहीं होने के विरुद्ध एचपीसीएल के अधिकारियों के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वही तर्क दिया गया जो रिट याचिका क्रमांक 87/ 2006 में उठाया गया है।

(6) जैसा कि एचपीसीएल तथा इसके प्राधिकारियों द्वारा रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है, मुंबई स्थित एचपीसीएल के जोनल कार्यालय ने सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए अंक सहित डीलर चयन दस्तावेजों का  जाँच एवं परीक्षण किया और पाया कि श्रीमती अनीता अग्रवाल को दिए गए अंक दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थे। यह कहा गया कि डीलर चयन दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन एचपीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया जो चयन समिति के वरिष्ठतम सदस्य से एक ग्रेड वरिष्ठ थे। इस मामले के परिप्रेक्ष्य में तथा उक्त  जाँच एवंपरीक्षण के परिणामस्वरूप एक ज्ञापन/प्रतिवेदन दिनांक 06/02/2006 श्री ए.जे. लवणकर, मुख्य प्रबंधक,एन डब्ल्यू पि (पश्चिम क्षेत्र), एचपीसीएल द्वारा तैयार की गई, जो रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में पाँचवे उत्तरवादी हैं, जिसमें दिनांक 19/11/2005 को आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया तथा उसके परिणामस्वरूप कोटा में खुदरा आउटलेट डीलरशिप प्रदान करने को संपूर्ण रूप से निरस्त करने की अनुशंसा की गई तथा रायपुर रिटेल क्षेत्र को नवीन साक्षात्कार आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उक्त ज्ञापन/ प्रतिवेदनदिनांक 06/02/2006 की एक प्रति प्रस्तुत की गई है एवं इसे रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में अनुलग्नक–पी/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उक्त अनुलग्नक – पी/1 दिनांक 06/02/2006 के आधार पर चौथे उत्तरवादी श्री एम.एस. डामले, महाप्रबंधक (पश्चिम क्षेत्र), एचपीसीएल ने रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में तीसरे उत्तरवादी, क्षेत्रीय प्रबंधक, रायपुर रिटेल क्षेत्र, एचपीसीएल को  संबोधित एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है कि कोटा में दिनांक 19/11/2005 को आयोजित साक्षात्कार तथा उक्त स्थान के अभ्यर्थियों का पैनल निरस्त किया जाएगा तथा तीसरे उत्तरवादी को निर्देशित किया गया कि उसी स्थान हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने दिनांक 06/11/2005 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था, दिशा–निर्देशों के अनुसार उन्हें पर्याप्त समय देकर नवीन साक्षात्कार आयोजित किया जाए। चौथे उत्तरवादी ने तीसरे उत्तरवादी को यह भी निर्देशित किया कि सभी डीलर चयन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। चौथे उत्तरवादी द्वारा तीसरे उत्तरवादी को दिनांक 06/02/2006 को लिखा पत्र रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में दस्तावेज़ को अनुलंग्नक–पी/2 के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं चिह्नित किया गया है।

(7) श्रीमती मित्तु अग्रवाल, अनुलंग्नक–पी/1 तथा अनुलंग्नक–पी /2 से व्यथित होकर, इस न्यायालय में दिनांक 12/04/2006 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 प्रस्तुत की गई।इस विकासक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, श्रीमती अनिता अग्रवाल ने रिट याचिका क्रमांक 87 / 2006 में प्रस्तुत जवाब को संशोधन करने हेतु अतिरिक्त आधार उठाने के लिए आवेदन क्रमांक 6286 / 2006 दायर किया, अनुलंग्नक–पी/1 एवं अनुलग्नक–पी/2 के रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में अभिलिखित निष्कर्ष के आधार, एचपीसीएल तथा उनके प्राधिकारीगण को कोटा में उनको खुदरा आउटलेट डीलरशिप प्रदान करनी चाहिए थी, तथा पैनल में चयन किये जाने को निरस्त नहीं करना चाहिए था, एवं पुनः साक्षात्कार आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उक्त आवेदन में, श्रीमती अनिता अग्रवाल ने प्रर्थना में भी यह संसोधन चाहा कि आदेश (अनुलग्नक–पी/2) दिनांक 06/02/2006 को निरस्त करने तथा एचपीसीएल तथा उनके प्राधिकारीगण को कोटा में खुदरा आउटलेट डीलरशिप आवंटित करने हेतु निर्देश दिये जाएँ में भी संशोधन मांगा। उक्त संशोधन हेतु अंतवर्ती आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21/07/2006 द्वारा स्वीकृत किया गया। एचपीसीएल तथा रायपुर स्थित एचपीसीएल के क्षेत्रीय निदेशक, जो क्रमशः रिट याचिका क्रमांक 87 /2006 में द्वितीय एवं तृतीय उत्तरवादी हैं, ने भी अपने जवाब में संशोधन कर यह बचाव उठाने हेतु आवेदन क्रमांक 2289 / 2006 दायर किया, कि अनुलग्नक– पी/1 एवं अनुलग्नक–पी/2 जो रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में प्रस्तुत किया है , के आलोक में रिट याचिका क्रमांक 87/ 2006

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निष्फल हो चुकी है, तथा उसी को निष्फल मानकर निरस्त किया जाना चाहिए। उक्त आवेदन को भी इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21/07/2006 द्वारा स्वीकृत किया गया।रिट याचिका क्रमांक 87 / 2006 में उत्तरवादी क्रमांक 2 एवं 3 तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से जवाब दायर किए गए हैं।इसी प्रकार, रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में भी, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5 तथा उत्तरवादी क्रमांक 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किये जा चुके हैं।"

(8) रिट याचिका क्रमांक 87/2006 तथा रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 को आपस में जोड़कर अंतिम निराकण हेतु दिनांक 21/07/2006, 27/07/2006 एवं 31/07/2006 को एक साथ सुना गया। मैंने श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता जो श्रीमती अनीता अग्रवाल के ओर से उपस्थित हुए, श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो श्रीमती मिट्टू अग्रवाल के और से उपस्थित हुए, श्री एस.के. बरोवाल, जो भारत संघ के लिए स्थाई अधिवक्ता हैं तथा श्री भीष्म किंगर, जो एचपीसीएल के लिए स्थाई अधिवक्ता हैं, की तर्के सुनीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9) श्री राजीव श्रीवास्तव ने यह तर्क दियाकि यदि साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक को उचित रूप से 35 अंक प्रदान किए गए होते, जैसा कि श्रीमती मीतु अग्रवाल, श्रीमती अनीता अग्रवाल तथा अनुलग्नक–पी/1 एवं अनुलग्नक–पी/2 में परिलक्षित है, तो श्रीमती अनीता अग्रवाल को चयन सूची में क्रमांक 1 पर रखा गया होता। उन्होंने आगे कहा कि एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकारियों, जैसा कि रिट याचिका क्रमांक 1954 / 2006 में दर्शाया गया है, द्वारा स्वयं साक्षात्कार को निरस्त करना तथा अनुलग्नक–पी/2 दिनांक 06/02/2006 पारित करना प्रथम दृष्टया अवैध, मनमाना तथा तर्कहीन था। उन्होंने इस कारण निवेदन किया कि उपरोक्त जांच एवं परिक्षण के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में तथा स्वयं साक्षात्कार को निरस्त करने की कार्रवाई को देखते हुए अनुलग्नक–पी/2 दिनांक 06/02/2006 को निरस्त किया जाए एवं एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकारियों को कोटा में श्रीमती अनीता अग्रवाल को खुदरा आउटलेट डीलरशिप प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए।

10) श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्रीमती मित्तु अग्रवाल की ओर से उपस्थित हुए, ने इसके विपरीत यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक–पी/2 अत्यंत अवैध और मनमाना है, जो असंगत कारकों पर आधारित है तथा श्रीमती अनीता अग्रवाल को अनुचित लाभ एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि श्रीमती अनीता अग्रवाल को कोटा में आउटलेट डीलरशिप प्रदान न किए जाने का मामला इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में विचाराधीन था, इसलिए एचपीसीएल प्राधिकारियों को श्रीमती अनीता अग्रवाल द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में दिए जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव ने यह भी तर्क दिया कि एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकारियों ने जांच की एवं राज्य निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आधारित दिशानिर्देशों के अनुसार श्रीमती मित्तु अग्रवाल की उपयुक्तता का आकलन किया तथा उन्हें आउटलेट डीलरशिप के लिए चयनित किया। अतः वे श्रीमती अनीता अग्रवाल के कहने पर चयन को निरस्त करने से विबंधित किये गए । उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एचपीसीएल एवं उसके प्राधिकारियों ने रिट याचिका क्रमांक 87/2006 में दायर जवाब में यह कहकर अपने निर्णय का बचाव किया कि श्रीमती मित्तु अग्रवाल का चयन करते समय उन्होंने सभी दिशानिर्देशों का पालन किया, जबकि रिट याचिका क्रमांक 1954/2006 में दायर जवाब में उन्होंने अपना रुख बदल लिया और कहा कि श्रीमती अनीता अग्रवाल को प्रत्येक साक्षात्कार समिति सदस्य द्वारा “भूमि तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता” के अंतर्गत 35 अंक दिए गए थे, और यदि ऐसा समिति द्वारा किया गया था, तो उन्हें सूची में क्रमांक 1 पर होना चाहिए था। श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि एचपीसीएल और उसके प्राधिकारियों का यह दोहरा मापदंड उनकी मनमानी और पक्षपात को दर्शाता है, जो उन्होंने श्रीमती अनीता अग्रवाल को असंगत करकों से लाभ पहुँचाने हेतु किया।

(11) श्री भीष्म किंगर, एचपीसीएल (एचपीसीएल) एवं उसकी प्राधिकृत संस्थाओं के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षात्कार दिनांक 19/11/2005 को निरस्त करने का औचित्य था तथा रिट याचिका संख्या 1954/2006 में तृतीय उत्तरवादी को यह परामर्श दिया गया था कि नये सिरे से साक्षात्कार आयोजित किया जाये ताकि सभी आवेदकों के प्रति पारदर्शिता और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह विशेष रूप से रेखांकित किया कि ऐसा नहीं है कि केवल श्रीमती अनीता अग्रवाल अथवा श्रीमती मित्तु अग्रवाल ही प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई थीं, बल्कि यह तो नये सिरे से साक्षात्कार आयोजित किया जाना था। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चतुर्थ उत्तरवादी द्वारा विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि नये सिरे से आयोजित किया जाने वाला साक्षात्कार केवल उन अभ्यर्थियों तक ही सीमित रहे जिन्होंने दिनांक 19/06/2005 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन प्रस्तुत किये थे। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि इससे न्याय का कोई हनन नहीं होता है और श्रीमती अनीता अग्रवाल एवं श्रीमती मित्तु अग्रवाल द्वारा अपने अपने रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त करने हेतु बल देने का कोई औचित्य नहीं बनता है, विशेष रूप से इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं तथा एचपीसीएल एवं उसकी प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा नये सिरे से साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। श्री एस. के. बेरीवाल, भारत संघ के लिए स्थायी अधिवक्ता,ने श्री भीष्म किंगर की तर्क का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के उपरांत, इस वाद में निर्णय हेतु एक संक्षिप्त प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या एचपीसीएल एवं उसकी प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा दिनांक 19/11/2005 के साक्षात्कार के परिणाम को निरस्त करने तथा उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनः जांच कराने के निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप उचित है। यह न्यायालय यह भी विचार करेगा कि क्या उक्त निर्णय श्रीमती अनीता अग्रवाल अथवा श्रीमती मित्तु अग्रवाल को कोटा में आउटलेट डीलरशिप प्रदान करने के संबंध में योग्यता पर विचार करेगा।

(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा यह अक्सर कहा एवं दोहराया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाइयों की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय अथवा प्राधिकारियों की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णय के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के विरुद्ध होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की कुछ स्वाभाविक सीमाएँ होती हैं, यह एक स्थापित विधि सिद्धांत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा बारम्बार प्रतिपादित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्यवाहियों की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय

अपीलीय न्यायालय अथवा प्राधिकारियों की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन अप्ने आप मे निर्णय के विरुद्ध नहीं होता, बल्कि निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया के विरुद्ध निर्देशित होता है। यह सर्वविदित है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में कुछ अंतर्निहित सीमाएँ होती हैं। कार्यपालिका एवं वैधानिक प्राधिकारियों केलिए हे की विधि का प्रशासन को सुनिश्चित करे तथा न्यायालय का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका एवं वैधानिक प्राधिकारियों संविधान एवं सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप अपने कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करें। अन्य शब्दों में, न्यायालय का कर्तव्य केवल वैधानिकता के प्रश्न तक सीमित रहना है। न्यायालय यह विचार कर सकता है कि क्या निर्णय–लेने वाली प्राधिकारियों ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया, विधि की कोई त्रुटि की, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया, ऐसा कोई निर्णय लिया जो कोई साधारण प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं लेता अथवा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। न्यायालय केवल यह देख सकता है कि निर्णय–लेने की प्रक्रिया युक्तिसंगत थी या नहीं, मनमानी नहीं थी, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती थी तथा प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था। एस.आर. बाम्मई बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन के मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए तथा उनसे अधिक नहीं जाना चाहिए। यदि प्राधिकारियों ने अपनी बुधिमत्ता में कोई त्रुटि की है, तो न्यायालय एक उच्च प्राधिकारियों के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जब तक कार्यपालिका अथवा वैधानिक प्राधिकारियों के आदेश अवैध या असंवैधानिक नहीं होते, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक प्राधिकारियों अथवा वैधानिक प्राधिकारियों का आदेश सही या गलत हो सकता है। यह प्रशासनिक प्राधिकारियों अथवा वैधानिक प्राधिकारियों का सुनवाई एवं त्रुटि सुधार का अधिकार है तथा जब तक उसका प्रयोग निष्कपट एवं प्राधिकारियों की सीमाओं के भीतर किया गया है, तब तक किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर्यवेक्षीक प्रकृति की है। जब तक यह सीमा लागू है, न्यायालय प्रशासनिक प्राधिकारियों अथवा वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में स्वयं भी शक्ति अतिक्रमण का दोषी नहीं होगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ यह अभिनिर्धारित किया है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) बर्नार्ड श्वाट्र्ज ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक विधि, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 584 में इस प्रकार कहा है :

> "यदि पुनर्विलोकन का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा, तो अभिकरण मात्र ऐसे माध्यम बनकर रह जाएँगे, जिनके द्वारा प्रकरण न्यायालयों तक पहुँचेगा। इससे उन अभिकरणों द्वारा सतत रूप से किए जा रहे प्रशासन से प्राप्त विशिष्ट ज्ञान का लाभ नष्ट हो जाएगा। साथ ही न्यायिक परीक्षण का दायरा इतना सीमित भी नहीं होना चाहिए कि वह वैधानिकता के प्रश्न की सम्यक जाँच ही न कर सके। यदि इस प्रश्न की न्यायाधीश द्वारा यथोचित जाँच नहीं हो पाएगी, तो पुनर्विलोकन का अधिकार अर्थहीन रह जाएगा। इससे प्रशासनिक आदेशों की न्यायिक पुनर्विलोकन वादकारियों के लिए निराशाजनक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में यह न्यायिक प्रक्रिया को भी अत्यधिक दुर्बल कर देगी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त विचार बर्नार्ड श्वाट्र्ज द्वारा व्यक्त किए गए थे, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ में स्वीकृति प्रदान करते हुए उद्धृत किया है।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया :

> "न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग अनियंत्रित कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इस नियंत्रण के दो वर्तमान स्वरूप हैं। पहला, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की सीमा, और दूसरा वह विस्तार जिसके अंतर्गत न्यायालय प्रशासनिक आदेश को उसके गुण–दोष के आधार पर निरस्त कर सकता है। यही नियंत्रण प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताएँ हैं।"

(बल दिया गया)

(15) यद्यपि इस प्रकरण में, श्रीमती मित्तु अग्रवाल ने साक्षात्कार को निरस्त किए जाने तथा नवीन साक्षात्कार आयोजित किए जाने की आक्षेपित कार्रवाई को दुराशयपूर्ण बताते हुए कहा कि उक्त कार्रवाई श्रीमती अनिता अग्रवाल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से की गई थी। किन्तु, इस संबंध में की गई

अभिवचन अत्यंत अस्पष्ट थी, और उक्त दुराशय को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक तथ्यात्मक आधार श्रीमती मित्तु अग्रवाल की अभिवचन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस याचिका का समर्थन करने हेतु न्यायालय के समक्ष कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रीमती अनिता अग्रवाल तथा श्रीमती मित्तु अग्रवाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अनेक तर्क रखे, मानो वे किसी तथ्य–परीक्षण प्राधिकारियों या विचरण न्यायालय के समक्ष बहस कर रहे हों। उन्होंने प्रमाणों के अंशों को सूक्ष्मता से पृथक कर अपने पक्ष में उजागर किया तथा न्यायालय से आग्रह किया कि उनके दावों को स्वीकार किया जाए। मुझे उन तर्कों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस विचार पर दृढ़ हूं कि यह न्यायालय उन प्रत्येक तथ्यों का विश्लेषण नहीं कर सकता, जिनके आधार पर एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकृत अधिकारियों ने निर्णय लिया कि 19 नवम्बर 2005 को आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कार समिति के सदस्यों ने कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं की तथा श्रीमती अनिता अग्रवाल को भूमि तथा अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता के संबंध में उचित अंक प्रदान नहीं किए। यद्यपि ऐसा हुआ है, तथापि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त निष्कर्ष प्रथम दृष्टया असंगत अथवा अस्थिर है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकृत अधिकारियों ने पूर्व में श्रीमती मित्तु अग्रवाल के पक्ष में की गई स्वीकृति को निरस्त करने के उपरांत श्रीमती अनिता अग्रवाल को आउटलेट डीलरशिप स्वीकृत नहीं की है। मुझे यह भी कहना उचित प्रतीत होता है कि संपूर्ण न्याय की दृष्टि से, एचपीसीएल तथा उसके प्राधिकृत अधिकारियों ने अब यह निश्चय किया है कि नया साक्षात्कार केवल उन्हीं आवेदकों के लिए आयोजित किया जाएगा जिन्होंने 19 अगस्त 2005 को प्रकाशित विज्ञापन केजवाबमें आउटलेट डीलरशिप हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि जिन आवेदकों ने उक्त विज्ञापन केजवाबमें डीलरशिप हेतु आवेदन किया है, उन्हें नवीन आवेदन आमंत्रित करने के कारण किसी भी प्रकार की हानि न हो, तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि साक्षात्कार निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाए ताकि एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सके, जो एचपीसीएल के प्रशासन द्वारा प्रवर्तित किए गए हैं। इस प्रकार इस न्यायालय के लिए संविधान के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने तथा आउटलेट डीलरशिप के लिए उपयुक्त उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में विलंब करने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा मार्ग न तो सामान्य रूप से जनता के हित में होगा और न ही विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं के हित में। वास्तव में न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण पहले ही पर्याप्त विलंब हो चुका है।

16) परिणामस्वरूप तथा उपरोक्त कारणों के आधार पर, मैं दोनों रिट याचिकाओं को निरस्त करता हूँ। तथापि, पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दोनों रिट याचिकाओं में अपनी–अपनी व्यय (कॉस्ट) स्वयं वहन करेंगे।"

**(हस्ताक्षर)**

**मुख्य न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated By – Ms Priti Rout, Advocate